"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2014 — माघ 12, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/ आठ-परि./2013. — मोटर अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में-

1. नियम 2 के खण्ड (क क) को विलोपित किया जाये।

2. नियम 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

" (ख) "अतिरिक्त परिवहन आयुक्त", "संयुक्त परिवहन आयुक्त", "उप परिवहन आयुक्त" और "सहायक परिवहन आयुक्त" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तथा पदस्थ अधिकारी ;

"(खख) "जिला परिवहन कार्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसा कार्यालय, जो राज्य सरकार द्वारा एक या अधिक जिलों को समाविष्ट कर, अधिनियम, उसके अन्तर्गत विहित नियमों तथा अन्य परिवहन विधियों के अधीन परिगणित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए स्थापित किया गया है; तथा "परिवहन जांच–चौकी" से अभिप्रेत है, ऐसी जांच–चौकी, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे जिला परिवहन कार्यालय के भाग के रूप में ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिये, जिनका जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अधिनियम, उसमें विहित नियमों तथा अन्य परिवहन विधियों के अधीन पालन किया जा रहा है, स्थापित किया गया है;

3. नियम–2 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ज) "वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी", "क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी", "अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी" या "सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, उसके अन्तर्गत विहित नियमों एवं अन्य परिवहन विधियों के अधीन संबंधित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी प्रदेश, जिले अथवा क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया कोई अधिकारी."

No. F5-10/viii-Trans/2013. — In exercise of the powers conferred by section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules-

1. **Clause (aa) of Rule 2 shall be omitted.**

2. **For Clause (b) of Rule 2, the following shall be substituted, namely:-**

"(b) "Additional Transport Commissioner", "Joint Transport Commissioner", "Deputy Transport Commissioner" and "Assistant Transport Commissioner" means the Officers appointed and posted as such by the State Government;

"(bb) "District Transport Office" means an office comprising of one or more Districts, established as such by the State Government, to perform the duties and functions enumerated under the Act, the rules prescribed there under and other transport laws; and "Transport Check-post" means the check-post established by the State Government as a part and parcel of such District Transport Office, to perform the duties and functions as are performed by the District Transport Office under the Act, the rules prescribed therein and other transport laws;

3. **For clause (h) of rule (2), the following shall be substituted, namely:-**

"(h) "Senior Regional Transport Officer", "Regional Transport Officer", "Additional Regional Transport Officer" or "Assistant Regional Transport Officer" means any officer appointed as such by the State Government for any region, district or area to perform the concerned duties and functions under the Act, the rules prescribed there under and other Transport laws."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.